**बिहार सरकार**
**श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग**
**(श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना)**

**कार्यालय आदेश सं०–** 19 **पटना, दिनांक–** 24/06/2026

श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय (सामान्य एवं तकनीकी) में पदस्थापित कार्यालय परिचारियों को स्तंभ–3 में अंकित वर्त्तमान पदस्थापित कार्यालय से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तंभ–4 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :–

| क्र० सं० | कार्यालय परिचारी का नाम | वर्त्तमान पदस्थापित कार्यालय का नाम | स्थानान्तरित कार्यालय का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | श्री मुन्ना कुमार सिंह, | श्रम अधीक्षक का कार्यालय, शिवहर | श्रम अधीक्षक का कार्यालय, पूर्वी चम्पारण |
| 2. | श्री मनीष कुमार, | श्रम अधीक्षक का कार्यालय, भोजपुर (आरा) | श्रम अधीक्षक का कार्यालय, शिवहर |
| 3. | श्री योगेन्द्र कुमार राम | श्रम अधीक्षक का कार्यालय, मधुबनी | उप श्रमायुक्त का कार्यालय, मुजफ्फरपुर |
| 4. | श्री अवधेश निल कमल प्रसाद रौशन | श्रम अधीक्षक का कार्यालय, नवादा | उप श्रमायुक्त का कार्यालय, गयाजी |
| 5. | श्री उपेन्द्र दास | कारखाना निरीक्षक का कार्यालय, मोतिहारी अंचल, मोतिहारी (सम्प्रति प्रतिनियुक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना) | मुख्य कारखाना निरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना |

2. क्र०सं०–1, 2, 3 एवं 5 पर अंकित कार्यालय परिचारियों, जिनका स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है, को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

3. सभी संबंधित कार्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरित कार्यालय परिचारियों को अविलंब विरमित करना सुनिश्चित करेंगे। सभी संबंधित कर्मी अपना सभी प्रकार का प्रभार सौंप कर ही स्थानान्तरित कार्यालयों में अपना योगदान देंगे। कार्यालय प्रधान स्थानीय व्यवस्था के तहत् प्रभार का आदान–प्रदान सुनिश्चित करवायेंगे।

4. स्थानान्तरित सभी कार्यालय परिचारियों का जुलाई–2026 का वेतन नव पदस्थापित कार्यालय से भुगतेय होगा।

5. सभी संबंधित कार्यालय प्रधान को आदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक–15.07.2026 तक अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।

ह० /–
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार

*D:/-Transfer-Posting order LDC 2026 - 5*

ज्ञापांक–2/ई1–41/2026 श्र०सं०– 3635 पटना, दिनांक– 24/6/26

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम अधीक्षक/मुख्य कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक/कारखाना निरीक्षक/प्रशासी पदाधिकारी, दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना एवं सभी स्थानान्तरित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सभी कार्यालय प्रधान से अनुरोध है कि स्थानान्तरित कार्यालय परिचारियों को अपने स्तर से भी उक्त आदेश परिचारित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/6/26

श्रमायुक्त, बिहार

D:/-Transfer-Posting order LDC 2026 - 6